दौसा में बारात से लौट रहे छह युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत

सभी युवक एक ही गांव के थे तथा शादी-समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे

दुर्घटना से 30 मीनट पूर्व युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटो।

हादसे के बाद घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

- हादसा जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा उपखण्ड में स्थित ग्राम कैलाई के पास मंगलवार देर रात करीब बारह बजे हुआ, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई
- प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए

दौसा, (निसं)। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा उपखण्ड में स्थित ग्राम कैलाई के पास देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौके पर तथा दो की उपचार के दौरान मौत हो गई। सभी युवक एक ही गांव के हैं तथा शादी-समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस भीषण हादसे के बाद ग्राम कालाखो में हाहाकार मच गया तथा खुशियां मातम में बदल गई। हादसा मंगलवार देर रात करीब बारह बजे हुआ, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक नियंत्रण बिगड़ने से वाहन सीधे डिवाइडर लांघते हुए विपरीत दिशा में पहुंच गया। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। इधर हादसे की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया, जहाँ उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे दिए। वहीं दूसरी ओर हादसे के बाद कुछ समय तक हाइवे पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन चालक का नियंत्रण खोना हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रेलर चालक से भी पूछताछ की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।

शादी से लौट रहे थे : हादसे में समय सिंह पुत्र रामसिंह योगी, लोकेश पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश पुत्र बनवारी योगी, मनीष पुत्र हरिमोहन योगी, अंकित पुत्र लालराम बैरवा तथा नवीन योगी की मौत हो गई ये सभी कालाखो के रहने वाले थे, रात्रि को एक शादी समारोह में शामिल होकर पुन: घर लौट रहे थे। लौटने से पूर्व सभी युवकों ने एक साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, इधर इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

कुएं में डूबने से युवक की मौत

उदयपुर,(कासं)। जिले के घासा थाना क्षेत्र में स्थित कुएं में डूबने से युवक की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को घासा थाना क्षेत्र में स्थित कुएं में युवक का शव होने की सूचना मिलने पर घासा थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह, एएसआई प्रेमशंकर ने मौके पर पहुंच कर मृतक को कुएं से बाहर निकाल उसकी शिनाख्त झालों का ढाणा नूरड़ा निवासी बक्शुराम उर्फ बक्शीराम रेबारी (50) पुत्र अर्जुनजी रेबारी के रूप में शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। एएसआई प्रेमशंकर ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। बक्शीराम मानसिक रोगी होकर महिला के कपड़े पहनकर इधर-उधर घूमता रहता था। शव करीब चार दिन पुराना बताया जाता है। कुएं में बदबू आने पर लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे बाहर निकाल खेमली चिकित्सायल मोर्चरी में रखवाया था।

युवक ने घर में आत्महत्या की

जोधपुर, (कासं)। शहर के सूरसागर स्थित नारवा पुल के पास रहने वाले एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। इस बारे में मृतक के भाई की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई।

सूरसागर पुलिस ने बताया कि मूलत: उटाम्बर हाल नारवा पुल के पास संत लक्ष्मीदास नगर सूरसागर निवासी प्रेम पुत्र देवाराम सुथार ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रात्रि के समय उसके भाई राहुलराम ने घर में फंदा लगा लिया। पता लगने पर उसे फंदे से उतार कर अस्पताल लाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे चैक कर मृत बता दिया। पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजन को सौंपा।

पुलिस वैन से टकराई कार, महिला थाना प्रभारी की मौत

- एक पुलिसकर्मी सहित दो गंभीर घायल, पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस टीम
- हादसे में हरियाणा नंबर की कार के चालक को भी चोटें आई हैं। ड्राइवर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर मार दी। हादसे में महिला पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित दो लोग गंभीर घायल हुए हैं। हादसा श्रीगंगानगर शहर में पायल थियेटर रोड स्थित चौराहे पर बुधवार सुबह चार बजे हुआ। श्रीगंगानगर शहर में पायल थियेटर रोड स्थित चौराहे पर बुधवार सुबह करीब चार बजे पुलिस की गाड़ी से कार की टक्कर हो गई।

जानकारी के अनुसार एसएचओ ज्योति नायक किसान चौक से पेट्रोलिंग करते हुए रमेश चौक के पॉइंट की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वैन पलट गई। ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठी एसएचओ ज्योति का सिर बुरी तरह से दब गया। इसी कारण उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं, टक्कर मारने वाली कार कुछ मीटर आगे टकराकर रुक गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शहर कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने बताया हादसे में हरियाणा नंबर की कार के चालक को भी चोटें आई हैं। ड्राइवर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक्सीडेंट में एक अन्य पुलिसकर्मी और कार चालक भी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही एसपी अमृता दुहन सहित पुलिस के अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे।

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR.

No. NIT/2025-26/34700-14 Date: 11.02.2026

निविदा सूचना/2025-26

निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्र / राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है

कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित लागत (रु.)	निविदा सूचना संख्या
SITC of HVAC work at Admin. Block Marwar Medical University of Borawas, Jodhpur.UBN: RRC2526WSOB01197	366.00 Lakh	ई-690/25-26
Additional work Required at Medical College, Karauli. UBN: RRC2526WSOB01201	365.33 Lakh	अल्पकालीन ई-691/25-26
Construction of Outer Facade work at Sambhagiya Kar Bhawan at Jaipur. UBN: RRC2526WLOB01203	1245.14 Lakh	ई-694/25-26

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट: http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://pwd.rajasthan.gov.in/rsrdc पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। महाप्रबंधक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नोखा

क्रमांक-3374-81 दिनांक 03.02.2026

Notice Inviting Bid- 12/2025-2026

Bids for Repair work and Strengthening and Renewal Work are invited from interestedd bidders upto 06.02.2026 [09.30AM] to 16.02.2026 [06 PM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal https://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 223.99 Lakh.

NIB CODE NO. PWD2526A5491, UBN-PWD2526WSOB22377, UBN-PWD2526WSOB22378. UBN-PWD2526WSOB22379. UBN-PWD2526WSOB22380

Executive Engineer PWD Dn. Nokha

DIPR/C/2664/2026

जोधपुर में चार हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

- परिवादी की दादी के नाम से जमीन के खाते में करेक्शन करने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी

जोधपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर ग्रामीण टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जोधपुर जिले के पटवार हल्का खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा के पटवारी रोहित कुमार को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है।

शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण इकाई को बताया था कि आरोपी पटवारी रोहित कुमार उसकी दादी के नाम से जमीन के खाते में करेक्शन करने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जांच के दौरान यह वेरिफाई हुआ कि आरोपी ने पहले पांच हजार रुपए की डिमांड की, लेकिन शिकायतकर्ता की गुहार पर 4 हजार रुपए पर सहमत हो गया। एसीबी के डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसीबी एएसपी जोधपुर ग्रामीण पारस सोनी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार को रिश्वत लेते मौके पर ही दबोच लिया। एसीबी महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ व कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

भरतपुर में लैब टेक्नीशियन ने 25 हजार की रिश्वत ली

भरतपुर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भरतपुर के राजकीय जनाना चिकित्सालय स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट (बीएसयू) में कार्यरत लैब टेक्नीशियन (प्लेसमेंट कार्मिक) राम कुंवार को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि करौली चौकी को शिकायत मिली थी कि आरोपी परिवादी को जनाना चिकित्सालय भरतपुर में संविदा पर ट्रॉली पूलर वार्ड बॉय के पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर 30 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। आरोपी ने परिवादी को जनाना चिकित्सालय में बुलाकर 25 हजार रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

पुलिस ने नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया

- परिवार बारात का इंतजार कर रहा था और मौके पर पुलिस पहुंच गई

सीकर, (निसं)। बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र सदर सीकर में रात ग्राम जगमालपुरा में बाल अधिकारिता विभाग सीकर व गायत्री सेवा संस्थान एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया।

गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बारात के स्वागत की तैयारियों के बीच पुलिस टीम अचानक मौके पर पहुंच गई। परिवार बारात का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि विवाह की रस्में शुरू होतीं, प्रशासन ने हस्तक्षेप कर नाबालिग की शादी रुकवा दी। जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि विवाह में शामिल दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम है। सूचना के आधार पर पुलिस एवं टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आया कि नाबालिक बच्ची की उम्र 15 वर्ष है उम्र कम पाए जाने पर विवाह को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश की। पुलिस ने परिवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और नाबालिग को शिक्षा जारी रखने की सलाह दी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर

फोन-0151-2201142 email:eemhbikaner@ymail.com

क्रमांक-EE/M&H/BKN/2025-26/3309 दिनांक-29.01.2026

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या-60/2025-26

निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर में कुल रू. 228.49 लाख के 02 कार्य उप जिला अस्पताल पर विद्युत कार्यों हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपर्युक्त विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एमईएस इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त विद्युत श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेबसाईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

UBN NO. 1. NRH2526WSOB02297
2. NRH2526WSOB02298

(शिम्भू राम जाटव) अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

DIPR/C/2352/2026

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर

फोन-0151-2201142 email:eemhbikaner@gmail.com

क्रमांक-EE/M&H/BKN/2025-26/3310 दिनांक-29.01.2026

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या-61/2025-26

निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर में कुल रू. 144.65 लाख के 02 कार्य उप जिला अस्पताल पर विद्युत कार्यों हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपर्युक्त विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एमईएस इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त विद्युत श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेबसाईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

UBN NO. 1. NRH2526WSOB02299
2. NRH2526WSOB02301

(शिम्भू राम जाटव) अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

DIPR/C/2351/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा.अभि.विभाग, वृत चित्तौड़गढ़

शास्त्रीनगर, चित्तौडगढ-312001

फोन नं. 01472-240916 E-mail: secircle.chi.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक- एसई/वृचि/निविदा/2025-26/4358-65 दिनांक-30.01.2026

निविदा सूचना संख्या 39 से 43 वर्ष 2025-2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निविदा सूचना संख्या 39 से 43 में वर्णित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा डाउनलोड/अपलोड, तकनिकी बिड, निविदा खोलने की तिथी, निविदा शुल्क/धरोहर राशि एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क जमा कराने की तिथियों एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं तथा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov. पर निविदा प्रपत्र निर्धारित अवधि में डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते हैं। इच्छुक संवेदक द्वारा सभी विवरण यू.बी.ए. नं. के माध्यम से किए जा सकते हैं। इच्छुक संवेदक द्वारा सभी विवरण यू.बी.एन. नं. के माध्यम से www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

PHE2526WSOB12519, PHE2526WSOB12520, PHE2526WSOB12521, PHE2526WSOB12522, PHE2526WSOB12523

(सुनीत कुमार गुप्ता) अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त चित्तौडगढ

DIPR/C/2329/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

क्रमांक-अअ/सांचौर/2025-26/4255 दिनांक-03.02.2026

निविदा सूचना संख्या 17 वर्ष 2025-2026

NIB NO. PWD2526A5480

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सडक कार्य के आधार पर उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. 60.00 लाख है के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	4 फरवरी 2026 9.30 बजे से 16 फरवरी 2026 सायं 06.00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू बी एन संख्या निम्नानुसार है।

PWD2526WSOB22340

(प्रदीप पंवार) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

DIPR/C/2620/2026

जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर, स्याही, पेपरशीट जब्त

राजसमंद, (निसं)। केलवा थाना क्षेत्र में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नकली नोट और उपकरण जब्त किए हैं।

केलवा थाना अधिकारी सुबोध जांगिड़ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केलवा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जैतपुरा गांव में एक मकान में नकली नोट छापे जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दो युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आमेट थाना क्षेत्र के आगल गांव निवासी नारायण लाल पुत्र मोहन लाल गुर्जर और कमलेश गुर्जर पुत्र मोहन लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के 15 नोट, 200 रुपये के 362 नोट और 50 रुपये के 4 नोट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 80 हजार 100 रुपये है। इन सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित मिला। मौके से जाली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर, स्याही के कंटेनर, पेपरशीट, कट्टर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है।

पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कैथून पुलिस टीम ने इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के लिये कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि उसी अभियान के तहत कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने मय जाप्ता इलाके में कार्रवाई करते हुए एक जने से अवैध हथियार देशी पिस्टल बरामद की। पुलिस टीम ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए कैथून निवासी मोहम्मद शहिद उर्फ कालिया (34) को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी ने पूछताछ में सकिल मेवाती से अवैध हथियार लाना बताया है, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

स्मैक तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास

जोधपुर, (कासं)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 16 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 24 जून 2011 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने पीपाड़ से देवाताड़ा जाने वाली रोड से एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बंशीलाल पुत्र पोकरराम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डांगियावास जोधपुर से 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 15 गवाह, 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 1 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त बंशीलाल पुत्र पोकर राम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डांगियावास, जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब दो साल से अधिक पुराने मामले में पॉक्सो क्रम-4 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 27 दिसम्बर 2023 को पीड़िता के पिता ने कोटा ग्रामीण के एक थाने में शिकायत दी। शिकायत मे कहा कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 दिसम्बर 2023 की रात्रि को बिना बताये कहीं चली गई। जब उसने देखा तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, कमरे में बेटी नहीं थी। शिकायत में एक युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।

पक्षियों का शिकार करने से मना करने पर किसान पर हमला किया

गंगापुर सिटी, (निसं)। वजीरपुर थाना क्षेत्र में शिकार रोकने पर एक किसान पर हमला किया गया। घायल किसान को गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दी है।

फुलवाड़ा पेपट निवासी बृजमोहन मीना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 10 फरवरी की सुबह करीब 9.30 बजे वह अपनी पत्नी गुड्डी देवी के साथ गांव स्थित बोरिंग पर सरसों की फसल काटने गए थे। इसी दौरान उन्होंने पूरण वागरिया के बेटे और उसके 2 साथियों को मोर और कबूतर का शिकार करते देखा। बृजमोहन ने जब उन्हें शिकार करने से रोका, तो तीनों ने उनके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार विवाद बढ़ने पर एक युवक ने गिलोल से बृजमोहन की बाईं आंख पर वार किया। आरोपियों के पास टोपी वाली बंदूक, गिलोल और डंडा जैसे हथियार थे। आरोप है कि पहले डंडे से मारपीट की गई, फिर पूरण वागरिया के बेटे ने कुछ दूरी से टोपी वाली बंदूक से फायर किया। गोली बृजमोहन के कान के ऊपर से निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गए। हालांकि, छर्रे लगने से उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पत्नी गुड्डी देवी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनके साथ भी डंडों से मारपीट की।

घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया।

शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायल को पहले खंडीप अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंगापुर सिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बृजमोहन का इलाज गंगापुर गवर्नमेंट अस्पताल में जारी है। पीड़ित ने बताया कि वह आरोपियों को नाम से नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान कर सकता है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है।

हमले में घायल पिता की मौत, बेटे ने की थी मारपीट

कोटा, (निसं)। जिला बूंदी के केशवरायपाटन थाना इलाके में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने पिता के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में घायल वृद्ध की एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

केशवरायपाटन थाने के एएसआई हरिशंकर शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के सोडेला गांव निवासी रामरतन के तीन बेटे हैं, जिसमें बड़ा और छोटा बेटा गांव से बाहर रहते हैं और एक बेटा लेखराज रामरतन के साथ रहता है। एएसआई ने बताया कि मंगलवार रात्रि को रामरतन और लेखराज के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और उसी झगड़े के चलते लेखराज ने लकड़ी से पिता के साथ मारपीट कर दी। हमले में घायल रामरतन को उपचार के लिये केशवरायपाटन के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होती देख उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई ने बताया कि आरोपी लेखराज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

गांजे सहित एक गिरफ्तार : उदयपुर के बैकरिया थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध गांजे से भरी कार जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर अवैध गांजा जब्त किया। बैकरिया थानाधिकारी उत्तमसिंह मय टीम खजूर घाटी कालीबोर कोटड़ा रोड़ पर कार को रोक चालक प्रकाश पुत्र नीलकंठ पुरोहित निवासी अनोपपुरा नउवा चन्देसरा डबोक को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 3 किलो 140 ग्राम अवैध गांजाा जब्त किया।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन-2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B)(After Policy 2026-27)/ex/I/2026-06481-9018219/693 दिनांक-11.02.2026

कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026-27 के लिये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन (विकल्प प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 665 दिनांक 28.01.2026 के सन्दर्भ में राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि